



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ,रायपुर
"छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक,यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम,1970
(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित"

[स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय]
रजिस्ट्रार कार्यालय – शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय भवन,रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 – 2263165, 09425213277 (मोबाईल)
वेबसाईट – www.cgaupcb.in ई-मेल – registrar@cgaupcb.in

क्रमांक -01/सूचना/2020/ 68

रायपुर, दिनांक - 31/01/2020

//सूचना//

उपनाम परिवर्तन प्रक्रिया

बोर्ड द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र में उपनाम परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदक को उपनाम परिवर्तन विषयक शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित), मूल पंजीयन प्रमाणपत्र, शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तदुपरांत आवेदक को नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

पता परिवर्तन प्रक्रिया

बोर्ड द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र में पता परिवर्तन हेतु संबंधित आवेदक को पता परिवर्तन विषयक शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) एवं शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तदुपरांत आवेदक को पता परिवर्तन की सूचना प्रेषित की जावेगी।

(बोर्ड द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर
